

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व परखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- आदलवाड़ा कला

प्रकरण संख्या:- 264/25

दिनांक:- 3/10/25

उनवान

श्री प्रभुलाल पुत्र

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार

श्री रामकुमार मीना

चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

वि० आदलवाड़ा कला

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज: पटवारी हल्का आदलवाड़ा कला भू अ. नि. आदलवाड़ा कला एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम आदलवाड़ा कला प० ह० आदलवाड़ा कला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 37, 38, 226, 145, 225, 255, 277, 442 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	नाम की अशुद्धि	प्रभु पुत्र रामकुमार (शेख अंकन 10/1/मा०/1)	प्रभुलाल पुत्र रामकुमार (शेख अंकन 10/1/मा०/1)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री प्रभुलाल पुत्र रामकुमार मीना।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा